कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र।

पत्रांक 273 /ओबरा/15भू0ह0 दिनांक–30/7/ 2021.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

विषय– जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज संख्या 0.00 से 61.50तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षो/पौधो के पातन एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 10.62हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षो/पौधो के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपके कार्यालय का पत्रांक–809/यू0पी0– 67135–पी0एम0जी0 एस0वाई0/2021 दिनांक–07.06.2021, पत्रांक–925/यू0पी0–67135–पी0एम0जी0एस0 वाई0/2021, दिनांक–25.06.2021, प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक–3212/33–1, दिनांक–23.06.2021 तथा मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर के कार्यालय का पत्रांक–31/26–11, कैमूर दिनांक–03.07.2021, इस कार्यालय के पत्रांक–153/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक–17.07.2021, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक–392/मी0क्षे0/33 दिनांक–22.07.2021 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–314/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/59458/2020 दिनांक–28.07.2021.

महोदय,

अवगत कराना है कि पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का 10.62 हे0 तथा ओबरा वन प्रभाग का 34.6725हे0, कुल 45.2925हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किया गया था, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–153/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–17.07.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक–392/मी0क्षे0/33 दिनांक–22.07.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्रांक–314/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/59458/2020 दिनांक–28.07.2021 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए, इंगित कमियो का निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित समेकित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

अतः आपको मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–314/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/59458/2020 दिनांक–28.07.2021 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के उक्त पत्र में इंगित कमियो का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 273 **अ/समदिनांकित।**

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/c

F:\New Folder\AM-5.Docx

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांकः-314/11-सी-FP/UP/Road/59458/2020, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 28 ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः- जनपद-सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि० द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं०-0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका पत्रांक-392/मी०क्षे०/33, दिनांक 22.07.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः-

कैमूर वन्यजीव प्रभाग

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र में वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि अंकित है, जोकि गलत है तथा क्षेत्रफल भी गलत अंकित किया गया है। अतः सही वैधानिक स्थिति एवं क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 में से पूर्व का डिलिट कर अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में 194 बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-4(ii) में 196 वृक्षों को अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही वृक्षों की सं० ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-4(ii) में अपलोड करें।
3. लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि अंकित है, जोकि गलत है तथा एन०पी०वी० की गणना भी गलत है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड किया गया प्राक्कलन किसी अन्य प्रस्ताव का अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे ऑनलाइन भाग-2 से डिलिट कर प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षरण सहित पूर्ण प्राक्कलन ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड करें।
5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु Geo Referenced Digital Map पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(ii) में अपलोड करें।
6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित SoI Toposheet संलग्न है, किन्तु SoI Toposheet पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक व लीजेण्ड अंकित कर संशोधित SoI Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iii) में अपलोड करें।
7. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित नहीं किया गया है।
8. ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 के District Profile में विवरण भिन्न-2 फीड किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही विवरण फीड करें।
9. ऑनलाइन पार्ट-1 एवं ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet अपलोड करें तथा उसी को ही प्रस्ताव में संलग्न करें।

ओबरा वन प्रभाग

1. लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि अंकित है, जोकि गलत है तथा एन०पी०वी० की गणना भी गलत है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में आधा-अधूरा प्राक्कलन अपलोड किया गया है, जोकि गलत है। अतः पूर्ण प्राक्कलन ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड करें।

Acy-722

3. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु Geo Referenced Digital Map पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(ii) में अपलोड करें।
4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित SoI Toposheet संलग्न है, किन्तु SoI Toposheet पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक व लीजेण्ड अंकित कर संशोधित SoI Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iii) में अपलोड करें।
5. ऑनलाइन भाग–2 के District Profile में जिले का वन क्षेत्रफल गलत फीड किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग–2 के District Profile में फीड करे।
6. ऑनलाइन पार्ट–1 एवं ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet अपलोड करें तथा उसी को ही प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.2263 हे0 गैर वनभूमि के Geo Referenced Digital Map एवं SoI Toposheet में गाटा सं0–416क के स्थान पर 416 ही अंकित किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही गाटा सं0–416क अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map एवं SoI Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा समेकित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 314 /11–सी–FP/UP/Road/59458/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/ओबरा/कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-723